

अपील क्रमांक 192/बो.प्र./नि.स./2023
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /09/2023

अपील प्रकरण क्रमांक 192/बो.प्र./नि.स./2023

अपीलार्थी
श्री अनिल कांत पोद्दार,
कुसुम विला, अवंती बिहार,
श्रीराम हाइट के सामने,
दूसरा बंगला, रायपुर (छ.ग.)
मो.नं. 9754679192

उत्तरवादी
श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख
अभियंता, जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

आदेश दिनांक 26.09.2023

1. आवेदक/अपीलार्थी श्री अनिल कांत पोद्दार उपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।

3. प्रकरण संक्षेप:

- (i) आवेदक/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संविदा नियुक्ति के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर द्वारा भेजे गये अनुशंसा के पश्चात भी शासन को क्यों नहीं भेजा गया, संपूर्ण दस्तावेजों सहित पत्र की छायाप्रति, नोटशीट सहित सत्यापित प्रति 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 24.08.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय का आवक क्रमांक 826 दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त हुआ।
 - (ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती कक्ष से दिनांक 08.09.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 8 पृष्ठ की है। कार्यालयीन पत्र क्र. 8453, दिनांक 13.09.2023 आवेदक/अपीलार्थी को वांछित जानकारी पंजीकृत डाक से प्रदाय किया गया।
 - (iii) आवेदक/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया था, जो इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.09.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया है।
4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 26.09.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक का आवेदन पत्र आवक क्र. 826, दिनांक 28.08.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 29.08.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती कक्ष से दिनांक 08.09.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 8 पृष्ठ की है। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा रु. 50/- नगद आवेदन पत्र के साथ जमा किया गया। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्र. 8453, दिनांक 13.09.2023 आवेदक/अपीलार्थी को वांछित जानकारी पंजीकृत डाक से प्रदाय किया गया।

5. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदक/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 8453, दिनांक 13.09.2023 आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रदाय किया गया।
(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने जानकारी नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया था, जो इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.09.2023 समय दोपहर 12.30 बजे निर्धारित किया गया। जिसमें आवेदक/अपीलार्थी उपस्थित हुआ।
6. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 8453, दिनांक 13.09.2023 आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया। प्रकरण की सुनवाई में दोनों पक्षों का तर्क सुना गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।
7. दिनांक 29.09.2023 सुनवाई में आवेदक/अपीलार्थी उपस्थित हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि शासन को प्रेषित पत्र में टंकण त्रुटिवश संविदा नियुक्ति के स्थान पर संविदा नियुक्ति में वृद्धि करने हेतु टंकित हो गया है, उसे सुधार कर पुनः शासन को भेजने हेतु निवेदन किया गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्थापना कक्ष से उपस्थित अधीक्षक श्री ए.के. खत्री एवं श्री बी.एस. मैथिल, सहायक ग्रेड-1 को निर्देशित किया कि संविदा नियुक्ति प्रकरण को पुनः टंकण त्रुटि सुधार कर शासन को प्रेषित करें।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(सी.पी. जैन)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./192/बो.प्र./नि.स./2023/8929

रायपुर, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अनिल कांत पोद्दार, कुसुम विला, अवंती बिहार, श्रीराम हाइट के सामने, दूसरा बंगला, रायपुर (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(सी.पी. जैन)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)